भाकृअनुप-केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में 29 जुलाई 2026 को सभी प्रभागाध्यक्षों, परियोजना समन्वयकों एवं प्रभारियों के लिए संपन्न हुई हिन्दी कार्यशाला

Hindi Workshop organized for all HoDs, PCs & Incharges at ICAR-CIAE, Bhopal on 29/7/26

सीआईएई भोपाल में हिन्दी कार्यशाला सम्पन्न

भोपाल । भाकृअनुप-केन्द्रीय कृषि अभियात्रिकी संस्थान, भोपाल में निदेशक डॉ. सी. आर. मेहता की अध्यक्षता में राजभाषा प्रबंधन, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की अनुपालना एवं हिन्दी ई-तकनीकी टूल विषय पर एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्थान के सभी प्रभागाध्यक्षों, परियोजना समन्वयकों, अनुभाग प्रभारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से आयोजित इस कार्यशाला को मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में नरेन्द्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने संबोधित किया।

अपने अध्यक्षीय संबोधन में निदेशक डॉ. सी. आर. मेहता ने कहा कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं, बल्कि संबंधित हितधारकों तक ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान की नवोन?मेषी तकनीकों को सरल भाषा में उपलब?ध कराने का महत?वपूर्ण साधन भी है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में हिन्दी ई-तकनीकी उपकरणों के उपयोग से राजभाषा में कार्य करना अधिक सरल, त्वरित एवं प्रभावी हो गया है। उन्होंने सभी वैज्ञानिकों एवं अधिकारियों से अपेक्षा की कि वे उपलब्ध डिजिटल संसाधनों एवं तकनीकी साधनों का अधिकाधिक उपयोग कर अनुसंधान परिणामों एवं कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को और अधिक गति प्रदान करें।

मुख्य वक्ता नरेन्द्र सिंह मेहरा ने अपने व्याख्यान में राजभाषा प्रबंधन, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी किए जाने वाले दस्तावेजों के द्विभाषी स्वरूप, उनकी विधिक अनिवार्यता तथा उसके प्रभावी अनुपालन पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कार्यालयों में राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रभागाध्यक्षों एवं अनुभाग प्रभारियों की भूमिका को अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने हिन्दी ई-तकनीकी टूल्स, जैसे यूनिकोड आधारित टंकण, हिन्दी इनस्क्रिप्ट एवं फोनेटिक की-बोर्ड, वॉइस टाइपिंग, मशीन अनुवाद, वर्तनी एवं व्याकरण जांच, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित भाषा उपकरण तथा विभिन्न डिजिटल राजभाषा संसाधनों के प्रभावी उपयोग की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इन आधुनिक तकनीकी साधनों के प्रयोग से हिन्दी में गुणवत्तापूर्ण, शीघ्र एवं त्रुटिरहित कार्यालयीन कार्य निष्पादित किया जा सकता है। उन्होंने अधिकारियों से अपील की कि वे नियमित अभ्यास एवं तकनीकी उपकरणों के उपयोग के माध्यम से हिन्दी में कार्य करने की दक्षता विकसित करें तथा राजभाषा नीति के प्रभावी क्रियान्वयन में सक्रिय योगदान दें। कार्यशाला में प्रतिभागियों की जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मुख्य वक्ता ने राजभाषा संबंधी विभिन्न व्यावहारिक एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की तथा कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग से संबंधित अनेक उपयोगी सुझाव भी दिए।

कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में...

हिन्दी ई-तकनीकी टूल पर हुई कार्यशाला

प्रदेश टुडे

भोपाल। भाकृअनुप-केन्द्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान, भोपाल में निदेशक डॉ. सी. आर. मेहता की अध्यक्षता में राजभाषा प्रबंधन, राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) की अनुपालना एवं हिन्दी ई-तकनीकी टूल विषय पर एक हिन्दी कार्यशाला का आयोजन किया गया। संस्थान के सभी प्रभागाध्यक्षों, परियोजना समन्वयकों, अनुभाग प्रभारियों एवं प्रशासनिक अधिकारियों के लिए विशेष रूप से आयोजित इस कार्यशाला को मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता के रूप में नरेंद्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार ने संबोधित किया। अपने अध्यक्षीय संबोधन में निदेशक डॉ. सी. आर. मेहता ने कहा कि सरकारी कामकाज में राजभाषा हिन्दी का प्रयोग केवल संवैधानिक दायित्व ही नहीं, बल्कि संबंधित हितधारकों तक ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान की नवोन्मेषी तकनीकों को सरल भाषा में उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण साधन भी है। उन्होंने अधिकारियों एवं कर्मचारियों से आह्वान किया कि वे कार्यालयीन कार्यों में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा देते हुए राजभाषा नीति, राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियमों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि वर्तमान डिजिटल युग में हिन्दी ई-तकनीकी उपकरणों के उपयोग से राजभाषा में कार्य करना अधिक सरल, त्वरित एवं प्रभावी हो गया है।

कार्यालयीन कार्यों में करें हिंदी व डिजिटल संसाधनों का उपयोग

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में आयोजित कार्यशाला में शामिल अधिकारी। • सौजन्य

नवदुनिया प्रतिनिधि,भोपाल: भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (भाकृअनुप) केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान में बुधवार को राजभाषा प्रबंधन, राजभाषा अधिनियम-1963 की धारा 3(3) के अनुपालन व हिंदी ई-तकनीकी टूल्स विषय पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में अधिकारियों व वैज्ञानिकों को सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रभावी उपयोग व आधुनिक डिजिटल तकनीकों के माध्यम से राजभाषा के क्रियान्वयन को और सशक्त बनाने की जानकारी दी गई। संस्थान के निदेशक डा. सीआर मेहता की अध्यक्षता में आयोजित कार्यशाला में प्रभागाध्यक्ष, परियोजना समन्वयक, अनुभाग प्रभारी एवं प्रशासनिक अधिकारियों ने भाग लिया। मुख्य वक्ता नरेन्द्र सिंह मेहरा, उप निदेशक (कार्यान्वयन), क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (मध्य), राजभाषा विभाग ने हिंदी के बढ़ते महत्व पर विस्तार से जानकारी दी।